अतिमहत्वपूर्ण

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कल्याण
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/निःक0/3/के.अनु./16/317/26-2 भोपाल,दिनांक 18/11/2016

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

विषयः– निःशक्त व्यक्तियों हेतु दीनदयाल पुनर्वास योजना (DDRS) अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव वर्ष 2016–17 के संबंध में ।

संदर्भः– संचालनालय का पत्र क्रमांक/निःक.–3/1380 दिनांक 27.6.2016 एवं पत्र क्रमांक/निःक.–3/1454 दिनांक 1.7.2016.

–0–

उरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । निःशक्त व्यक्तियों हेतु संचालित समस्त अशासकीय संस्थाओं जिन्हे जिले की निराश्रित निधि से संस्था संचालन हेतु अनुदान दिया जा रहा था, को (DDRS) दीनदयाल पुनर्वास योजन के तहत केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

उक्त संबंध में जिले में संचालित अशासकीय संस्थाओं के प्रस्ताव दीनदयाल पुनर्वास योजनांतर्गत यथाशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें, ताकि माह दिसम्बर–2016 तक भारत सरकार को उक्त प्रस्ताव प्रेषित किया जाना संभव हो सके ।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त अशासकीय संस्थाओं को केन्द्रीय अनुदान की राशि प्राप्त होने तक जिला निराश्रित निधि से अनुदान जारी रखा जाये ताकि संस्था की गतिविधियॉ प्रभावित ना हो एवं निःशक्त बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु प्रदाय की जा रही सुविधाएं बाधित ना हो सके तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने पर उक्त राशि निराश्रित निधि में समायोजित की जावे ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें ।

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि.शक्तजन
कल्याण मध्यप्रदेश

3 n khan lettar340

पृष्ठा0 कमांक/नि:क0/3/के.अनु./2016/317A/262 भोपाल, दिनांक 18-11-2016
<u>प्रतिलिपि:-</u>

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि.शक्तजन
कल्याण मध्यप्रदेश